न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

तारीख दायर तारीख फैसला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 20.07.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
442 / 2022	09-09-2022	20/07/2023

उनवान

01. रामस्वरूप पुत्र बरता जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित
01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा व 557 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा पैमुद हो गये है। वर्णित आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा, जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा है, में से अन्य आराजीयात के साथ साथ साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा रकबा की खातेदारी जरिये सनद पट्टा संख्या 1685 दिनांक 29.11.1990 को तहसीलदार कम मैनेंजिग आफिसर, तिजारा द्वारा मिन वादी के नाम जारी कर दिया गया व खातेदारी हकूक प्रदान कर दिये गये। जिसका नामान्तकरण संख्या 442 भी मिन वादी के नाम दर्ज व मंजूर हो गया। मिन वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। मिन वादी अपनी आराजी पर काबिज व दाखिल रहा है तथा मौके पर मिन वादी का अपनी आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित कर पट्टा दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में पटवारी हल्का की गलती से रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। जिस कारण से मिन वादी के नामान्तकरण संख्या 442 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। तत्पश्चात सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह द्वारा अपने नामान्तकरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

...इन सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा का दर्ज कर दिया गया परन्तु मिन वादी का अंकन ...तहसीलदार द्वारा बहाल नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी के गलत रूप से चार नम्बर हाल ...आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, .../709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 दर्ज कर दिये। जबकि उक्त भूमि में गलत ...से अंकन गैरखातेदारान वगै. तौर पर दर्ज कर दिया। जो अंकन उपरोक्त अनुसार गलत दर्ज चला आ ...है। जो खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड है, जो मिन वादी के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल ...बेअसर है नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे मिन वादी इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर विवादित ...आराजी के 1 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा गलत को दुरूस्त ...विधि विरूद्ध तरीके से पैमुद किये गये बंटे नम्बरो को हटवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 ...23 बीघा 3 बिस्वा यानि 5.84 है0 में से 1 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार जरिये पट्टा ...संख्या 1685 व नामान्तकरण संख्या 442 के अनुसार इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त ...करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा ...स्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जो ...ामिल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र रामस्वरूप पुत्र बख्ता जाति मेघवाल ...िवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर, मनोहरलाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी ...म हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अपनी दौराने अपनी बहस वाद के तथ्यों को दौहराया गया है। वादी के वाद को डिक्री किये ...ाने का निवेदन किया गया।

...ह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

...नकी नम्बर 1 – आया वादी मुताविक सनद पट्टा व नामान्तकरण, आराजी का खातेदार है, जो इसी कदर स्वयं को खातेदार घोपित कराकर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

...नकी नम्बर 2 – आया वादी, प्रतिवादी को जरिये डिकी हु0ई0 दवामी से पावन्द कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

...नकी नम्बर 3 – आया वादी का वाद काविले खारिज है।

— जिम्मे प्रतिवादी

...नकी नम्बर 4 – अनुतोष।

यह कि वादीगण को जरिये सनद पट्टा भूमि आवंटित की जाकर नामान्तकरण संख्या मंजूर किया ...या है। जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में कर दिया गया। परन्तु माननीय अतिरिक्त जिला ...कलक्टर महोदय, के यहां दीगर इंतकाल संख्या 330 की अपील होने से व निर्णय होने से उपरोक्त राजस्व ...रिकार्ड से वादीगण के नाम का अंकन हटा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 330 का कोई संवंध व सरोकार ...वादीगण की आराजी से नहीं है एवं ना ही माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय से

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

का रकबा प्रमाणित होता है परन्तु पटवारी हल्का की गलती से आराजियात का अंकन सहवन से इन्द्रा
गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधाभासी कथन वाद के विपरीत में नहीं कहा
बल्कि वाद में जारी सनद पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि
प्रतिकूल प्रभावित नहीं है जिस कारण से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। उपरोक्त
संख्या 1 पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए उपरोक्त संख्या 2 की
कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व
6/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा
5 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा
5 व नामान्तकरण संख्या 442 के अनुसार 1 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता
तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
442/2022	09-09-2022	20/07/2023

उनवान

01. रामस्वरूप पुत्र बख्ता जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

-------:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थित
01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

-:: पर्चा डिक्री ::-

आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील ारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 1685 व नामान्तकरण संख्या 442 के अनुसार 1 । 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद ा जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। मिन वादी अपनी अलौटशुदा आराजी काबिज व दाखिल